राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक एफ 9(4)(26)उ.मै.छा / सान्याअवि / विशेष अभियान / 2020–21 / 2069 दिनांक 10/09/2021

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2020-21 के लिए विभाग द्वारा संचाचिल छात्रवृति योजनाओं यथा अनु.जाति,जनजाति, विशेष (अति) पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त धुमन्तु जाति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा में विशेष अभियान चलाकर दिनांक 01 अक्टूबर 2021 तक सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु ''जीरों पेंडेंसी अभियान'' प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी स्तर, शिक्षण संस्थान एवं विभागीय के स्तर पर प्रदर्शित सभी आवेदन पत्रों को निम्नानुसार निर्धारित दिनांक तक निस्तारण कर लंबित आवेदन पत्रों की संख्या को ''जीरो'' शुन्य किया जाना है। ''जीरो पेंडेंसी अभियान'' के तहत विभागीय कार्ययोजना निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति कर आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान के माध्यम से वेरीफायर लेवल (स्वीकृतकर्ता विभाग) को अग्रेषित करने की अन्तिम दिनांक	15 सितम्बर 2021
2	वेरीफायर लेवल एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच कर नियमानुसार आवेदन पत्र को स्वीकृत करने की अन्तिम दिनांक	22 सितम्बर 2021
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रो को उपलब्ध बजट के अनुसार भुगतान करने की अन्तिम दिनांक	30 सितम्बर 2021

- ''जीरों पेंडेंसी अभियान'' के तहत दिनांक 15 सितम्बर 2021 के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2020-21 के विद्यार्थी स्तर, महाविद्यालय स्तर पर प्रदर्शित आवेदन पत्रों को निदेशालय स्तर से स्वतः निरस्त (Reject) कर दिया जावेगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों पर पूर्नविचार भी नहीं किया जावेगा।
- वेरिफायर एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रतिदिन छात्रवृति आवेदन पत्रों का अभियान के रूप में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेगें।
- दिनांक 15 सितम्बर 2021 के पश्चात शिक्षण संस्थान, वेरीफायर लेवल एवं स्वीकृतकर्ता के स्तर से आवेदन पत्र को आक्षेपित करने के अधिकार पोर्टल से विलोपित कर लिये जावेंगे। उक्त दोनों स्तर पर केवल स्वीकृत एवं अस्वीकृत के अधिकार ही उपलब्ध होगें।
- उक्त स्वतः निरस्त आवेदन पत्रों के लिए संबंधित विद्यार्थि/कार्मिक ही उत्तरदायी होगा।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/ scholarship** पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

E:\letter 21-22 (23-07-02021).docx

क्रमांक एफ 9(4)(26)उ.मै.छा / सान्याअवि / विशेष अभियान / 2020–21 / 2070–2125 दिनांक 10/09/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त..............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त./ DLO(SJED).......।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।
17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

E:\letter 21-22 (23-07-02021).docx